दिनांक: ५. 1 . २० 18

संख्या सा.का.नि. 31 / संवि / अनु० 309 / 1996—भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप—घ) सेवा नियम, 1996 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:--

- ये नियम हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप–घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2017 कहे जा सकते हैं । 1.
- हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप--घ) सेवा नियम, 1996 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, 2. नियम 5 में निम्नलिखित अंक परिवर्तित होंगे:--

''नियम 5 में, अंक '35 वर्ष' के स्थान पर '42 वर्ष' पढ़ा जाये ।''

डा० महावीर सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग ।

पृष्ठाकन क्रमांक 6/100/2017-4श्रम

दिनांक .01.2018

एक प्रति नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को हरियाणा सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करके इसकी

> अधीक्षक, श्रम कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

पृष्ठाकन क्रमांक 6/100/2017-4श्रम

दिनांक

.01.2018

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

प्रधान महालेखाकार (ए० एण्ड ई०) हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

2. श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

आई0टी0 सैल मुख्यालय, कार्यालय श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

अधीक्षक, श्रम कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

Dated 4.1.2013

No. GSR.77/Const./Art-309/2013:- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Labour Department (Group-C) Service Rules, 1982, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Labour Department (Group-C) Services (Amendment) Rules, 2017.
- 2. In the Haryana Labour Department (Group-C) Service Rules, 1982 (hereinafter called the said rules) in rule 5 the following words shall be substituted, namely; "In rule 5, the words "thirty years", shall be substituted with the words "forty two years".

Dr. Mahavir Singh,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Labour Department

No. 6/100/2017-1Lab

Dated, Chandigarh .01.2018

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationary Department, Haryana, Chandigarh with the request that this notification may be published in the Haryana Government (Extraordinary) Gazetted and 50 printed copies may be supplied to the office of the Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh.

Superintendent Labour, for Principal Secretary to Govt. of Haryana, Labour Department.

Endst. No. 6/100/2017-1Lab

Dated, Chandigarh .01.2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.

2. Labour Commissioner, Haryana Chandigarh.

IT Cell O/o Labour Commissioner, Headquarter.

Superintendent Labour, for Principal Secretary to Govt. Haryana

Dated 4.1.20/8

No. GSR.33/Const./Art-309/2014:- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Labour Department (Group-B) Service Rules, 1987, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Labour Department (Group-B) Services (Amendment) Rules, 2017.
- In the Haryana Labour Department (Group-B) Service Rules, 1987 (hereinafter called the said rules) in rule 5 the following words shall be substituted, namely; "In rule 5, the words "forty years", shall be substituted with the words "forty two years".

Dr. Mahavir Singh,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Labour Department

No. 6/101/2017-1Lab

Dated, Chandigarh .01.2018

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationary Department, Haryana, Chandigarh with the request that this notification may be published in the Haryana Government (Extraordinary) Gazetted and 50 printed copies may be supplied to the office of the Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh.

Superintendent Labour, for Principal Secretary to Govt. of Haryana, Labour Department.

Endst. No. 6/101/2017-1Lab

Dated, Chandigarh .01.2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.

2. Labour Commissioner, Haryana Chandigarh.

3. IT Cell O/o Labour Commissioner, Headquarter.

Superintendent Labour, for Principal Secretary to Govt. Haryana Labour Department

Dated 4.1.201 8

No. GSR.91/Const./Art-309/96:- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Labour Department (Group-A) Service Rules, 1996, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Labour Department (Group-A) Services (Amendment) Rules, 2017.
- In the Haryana Labour Department (Group-A) Service Rules, 1996 (hereinafter called the said rules) in rule 5 the following words shall be substituted, namely;—
  "In rule 5, the words "forty years", shall be substituted with the words "forty two years".

Dr. Mahavir Singh,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Labour Department

No. 6/101/2017-1Lab

Dated, Chandigarh .01.2018

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationary Department, Haryana, Chandigarh with the request that this notification may be published in the Haryana Government (Extraordinary) Gazetted and 50 printed copies may be supplied to the office of the Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh.

Superintendent Labour, for Principal Secretary to Govt. of Haryana, Labour Department.

Endst. No. 6/101/2017-1Lab

Dated, Chandigarh .01.2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
- 2. Labour Commissioner, Haryana Chandigarh.
- 3. 'IT Cell O/o Labour Commissioner, Headquarter.

Superintendent Labour,
for Principal Secretary to Govt. Haryana
Labour Department

दिनांकः ५.1.2.18

संख्या सा.का.नि. 33/संवि/अनु० 309/2014—भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हिरयाणा श्रम विभाग (ग्रुप-क) सेवा नियम, 1987 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. ये नियम हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप—क) सेवा (संशोधन) नियम, 2017 कहे जा सकते हैं ।
- 2. हरियाणा, श्रम विभाग (ग्रुप—क) सेवा नियम, 1996 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में निम्नलिखित अंक परिवर्तित होंगे:—

''नियम 5 में, अंक '40 वर्ष' के स्थान पर '42 वर्ष' पढ़ा जाये ।''

डा० महावीर सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग ।

पृष्टाकन क्रमांक 6/101/2017-4श्रम

दिनांक .01.2018

एक प्रति नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को हरियाणा सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करके इसकी मुद्रित प्रतियां इस् विभाग को भेजी जाए ।

> अधीक्षक, श्रम कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

पृष्टाकन क्रमांक 6/101/2017-4श्रम

दिनांक

.01.2018

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

- 1. प्रधान महालेखाकार (ए० एण्ड ई०) हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
- 2. श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
- \_3. आईoटीo सैल मुख्यालय, कार्यालय श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

अधीक्षक, श्रम कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

Dated. 41, 20/6

No. GSR.31/Const./Art-309/1996:- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Labour Department (Group-D) Service Rules, 1996, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Labour Department (Group-D) Services (Amendment) Rules, 2017.
- In the Haryana Labour Department (Group-D) Service Rules, 1996 (hereinafter called the said rules) in rule 5 the following words shall be substituted, namely; "In rule 5, the words "thirty five years", shall be substituted with the words "forty two years".

Dr. Mahavir Singh,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Labour Department

No. 6/100/2017-1Lab

Dated, Chandigarh .01.2018

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationary Department, Haryana, Chandigarh with the request that this notification may be published in the Haryana Government (Extraordinary) Gazetted and 50 printed copies may be supplied to the office of the Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh.

Superintendent Labour, for Principal Secretary to Govt. of Haryana, Labour Department.

Endst. No. 6/100/2017-1Lab

Dated, Chandigarh .01.2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:

Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
 Labour Commissioner, Haryana Chandigarh.

IT Cell O/o Labour Commissioner, Headquarter.

Superintendent Labour, for Principal Secretary to Govt. Haryana.

दिनांकः ५.1.2.18

संख्या सा.का.नि. 77/संवि/अनु० 309/2013—भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुये, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हिरयाणा श्रम विभाग (ग्रुप—ग) सेवा नियम, 1982 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. ये नियम हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप—ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2017 कहे जा सकते हैं ।
- 2. हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप—ग) सेवा नियम, 1982 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में निम्नलिखित अंक परिवर्तित होंगे:—

"नियम 5 में, अंक '30 वर्ष' के स्थान पर '42 वर्ष' पढ़ा जाये ।"

डा० महावीर सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग ।

पृष्ठाकन कमांक 6/100/2017-4श्रम

दिनांक .01.2018

एक प्रति नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को हरियाणा सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करके इसकी मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भेजी जाए ।

> अधीक्षक, श्रम कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

पृष्ठाकन क्रमांक 6/100/2017-4श्रम

दिनांक

.01.2018

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

- 1. प्रधान महालेखाकार (ए० एण्ड ई०) हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
- 2. श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

आई0टी0 सैल मुख्यालय, कार्यालय श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

अधीक्षक,/श्रम कृतेः प्रधान सचिष, हस्यिणा सरकार, श्रम विभाग।

दिनांकः ५.1. 2.18

संख्या सा.का.नि. 33/संवि/अनु० 309/2014—भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हिरयाणा श्रम विभाग (ग्रुप—ख) सेवा नियम, 1987 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. ये नियम हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप—ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2017 कहे जा सकते हैं ।
- 2. हरियाणा श्रम विभाग (ग्रुप—ख) सेवा नियम, 1987 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में निम्नलिखित अंक परिवर्तित होंगे:—

''नियम 5 में, अंक '40 वर्ष' के स्थान पर '42 वर्ष' पढ़ा जाये ।''

डा० महावीर सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग ।

पृष्टाकन कमांक 6/101/2017-4श्रम

दिनांक 04.01.2018

एक प्रति नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को हरियाणा सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करके इसकी मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भेजी जाए ।

Sd

अधीक्षक, श्रम कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

पृष्टाकन कमांक 6/101/2017-4श्रम

दिनांक 04.01.2018

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

- 1. प्रधान महालेखाकार (ए० एण्ड ई०) हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
- 2. श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
- <u>3</u> आई०टी० सैल मुख्यालय, कार्यालय श्रम आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

अधीक्षक, श्रम कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।